संख्या- 104 /4201 /चार-2015-90(वि)/2015

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

विषय:- उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2193/सं0नि0-15(यश भारती सम्मान)/2015-16 दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन नियमावली, 2015 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 97 / 3810/चार-2015-90(वि0)/2015 , लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर,2015 निर्गत की गयी है। प्रश्नगत नियमावली के प्रस्तर- 4 के अनुसार आवेदन पत्र के अनुसार पात्र महानुभावों को इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन , लखनऊ को आवेदन पत्र दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है। तद्नुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन नियमावली, 2015 के अधीन निम्नलिखित दो प्रारूपो पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रारूप-1

उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र

महानुभाव का फोटो

1- महानुभाव का नाम --
2- महानुभाव के पिता/पति का नाम --
3- महानुभाव का पूरा स्थायी पता --
4- महानुभाव का वर्तमान (पत्राचार का) पता --
5- जन्म तिथि /वर्ष --
6- प्राप्त सम्मान का नाम एवं वर्ष --
(कृपया सम्मान के प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in/

7- * सरकारी सेवा में है / थे --

8 - बैंक खाते से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:-

(अ) बैंक का नाम --

(ब) बैक एकाउन्ट नम्बर --

(स) ब्रान्च का आई0एफ0एस0सी0 कोड --

(द) पैन नम्बर --

* (राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का विभाग अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित /सहायतित संस्थान/प्रतिष्ठान)

घोषणा:-

(1) मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे अपने लिए पेंशन की आवश्यकता है।

(2) मै सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई अनैतिक /अपराधिक दोष सिद्ध नही है और न ही मुझे किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है।

(3) उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है। यदि कोई विवरण गलत पाया जाता है तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दे और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है, विधि अनुसार वसूल कर ली जाये।

दिनांक :-

महानुभाव का हस्ताक्षर

महानुभाव का नाम

दूरभाष / मो0 नं0

प्रारूप-2

उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन योजना के अन्तर्गत जीवित होने का प्रमाण पत्र

(1) मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मै जीवित हूँ और मुझे अपने लिए पेंशन की आवश्यकता है।

(2) मै सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई अनैतिक /अपराधिक दोष सिद्ध नही है और न ही मुझे किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है।

(3) यदि कोई विवरण गलत पाया जाता है तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दे और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है, विधि अनुसार वसूल कर ली जाये।

महोनुभाव का फोटो

हस्ताक्षर :

नाम:

पता :

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

अतएव उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के आलोक में कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव

संख्या- 104 (1) / 4201 /चार-2015तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, श्रीराज्यपाल , उ0प्र0 ।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति विभाग,उ0प्र0 ।
4- महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
5- मुख्य स्टाफ आफीसर , मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10- निदेशक, उ0प्र0 पुरातत्व विभाग, लखनऊ ।
11- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय , लखनऊ।
12- निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग , लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप/नियमावली को आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
14- मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ ।
15- वित्त (ई-7) अनुभाग ।
16- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशा0 पत्रसंख्या- 4/2/19/2015-सी0 एक्स (1) दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के क्रम में ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या- 97 / 3810/चार-2015-90(वि0)/2015

लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर,2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन दिये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से निम्नांनुसार उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन नियमावली, 2015 अवधारित की जा रही है:-

उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों के लिए मासिक पेंशन नियमावली, 2015

उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन देने की योजना है। योजना का कार्यान्वयन इस नियमावली में दिये गये नियमों एवं शर्तो के अनुसार किया जायेगा:-

1-नियमावली:- यह नियमावली " उत्तर प्रदेश के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन नियमावली, 2015" कही जायेगी।

2- पात्रता:- 1. ऐसे महानुभाव जिन्हें उ0प्र0 सरकार द्वारा स्थापित " यश भारती सम्मान" तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित " पदम पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है, इस नियमावली के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

2. महानुभावों की जन्मभूमि/कर्मभूमि उ0प्र0 होना चाहिए।

3- पेंशन की धनराशि एवं अवधि:- 1. इस नियमावली के अन्तर्गत पात्र महानुभावों को रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रतिमाह पेंशन उनके जीवनपर्यन्त प्रदान की जायेगी।

2. पेंशनर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।

4- आवेदन पत्र देने की रीति:- इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन - पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, संस्कृति , उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।

5- पेंशन स्वीकृत करने का तरीका:- 1. इस नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण निम्नलिखित गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

(1)	निदेशक, संस्कृति	अध्यक्ष
(2)	अपर निदेशक, संस्कृति निदेशालय	सदस्य
(3)	वित्त नियत्रंक, संस्कृति निदेशालय	सदस्य
(4)	संयुक्त निदेशक, संस्कृति निदेशालय	सदस्य
(5)	उप निदेशक/सहायक निदेशक जो निदेशालय स्तर पर योजना कार्य देख रहे हों।	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति की संस्तुतियों के साथ प्रस्ताव शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, जो निदेशालय स्तर पर योजना का कार्य देख रहे है, के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जॉच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हो और जिन्हें नियमावली के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा सकती है, माह नवम्बर तक समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और आवश्यकता पडने पर समिति के अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलायी जा सकती है।

5. पेंशन स्वीकृत के आदेश की एक प्रति महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।

6- <u>पेंशन का संवितरण और लेखे रखना</u>:- 1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2. पेंशन भुगतान का लेखा-जोखा संस्कृति निदेशालय में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

7- <u>पेंशन भुगतान का तरीका</u> :- 1. मासिक पेंशन की धनराशि का आहरण कोषागार से निदेशक,संस्कृति निदेशालय या उनके द्वारा अधिकृत आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2. पेंशन का भुगतान छमाही आधार पर चयनित महानुभाव के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।

8- <u>पेंशन को बन्द करना</u>:- 1. इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त की जा सकती है।

2. निम्नलिखित आधार पर भी किसी समय बिना कारण बताये पेंशन समाप्त की जा सकती है:-

(1) अनैतिक/आपराधिक दोष के कारण।

(2) किसी भी जुर्म पर दण्डित होने के कारण।

(3) गलत सूचना या गलत ढंग से पेंशन प्राप्त कर ली गयी हो।

3. पेंशनर राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर पेंशन लेने से इन्कार कर सकता है और ऐसे विकल्प को एक बार प्रयुक्त किये जाने पर वापस नहीं लिया जा सकेगा।

9- <u>नियमावली में संशोधन</u>:- 1. नियमावली में संशोधन हेतु मा0 मुख्यमंत्री , उ0 प्र0 अधिकृत होंगे।

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव

<u>संख्या- 97 / 3810/चार-2015तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, श्रीराज्यपाल , उ0प्र0 ।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति विभाग,उ0प्र0 ।
4- महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

5- मुख्य स्टाफ आफीसर , मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10- निदेशक, उ0प्र0 पुरातत्व विभाग, लखनऊ ।
11- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय , लखनऊ।
12- निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग , लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप/नियमावली को आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
14- मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ ।
15- वित्त (ई-7) अनुभाग ।
16- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशा0 पत्रसंख्या- 4/2/19/2015-सी0 एक्स (1) दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के क्रम में ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in/

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0

उ0प्र0 के यश भारती एवं पद्म सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैंः-

प्रारूप
उ.प्र. के यश भारती एवं पद्म सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेन्शन योजना हेतु आवेदन पत्र

महानुभाव का फोटो

1. महानुभाव का नाम ——————————————————
2. महानुभाव के पिता/पति का नाम ——————————————————
3. महानुभाव का पूरा स्थायी पता ——————————————————
4. महानुभाव का वर्तमान (पत्राचार का) पता ——————————————————
5. जन्म तिथि/वर्ष ——————————————————
6. प्राप्त सम्मान का नाम एवं वर्ष ——————————————————
   (कृपया सम्मान के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
7. सरकारी सेवा में है/थे ——————————————————
8. बैंक खाते से सम्बंधित विवरण निम्नवत् हैः—
   (अ) बैंक का नाम ——————————————————
   (ब) बैंक एकाउन्ट नम्बर ——————————————————
   (स) ब्रान्च का आई0एफ0एस0सी0 कोड——————————————————
   (द) पैन नम्बर ——————————————————

   * (राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का विभाग अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित/सहायतित संस्थान/प्रतिष्ठान)

घोषणाः

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे अपने लिए पेन्शन की आवश्यकता है।
2. मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूं कि मेरे विरूद्ध कोई अनैतिक/अपराधिक दोष सिद्ध नही है और न ही मुझे किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है।
3. उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है। यदि कोई विवरण गलत पाया जाता है तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेन्शन बन्द कर दे और जो भी धनराशि मुझे पेन्शन के रूप में दी गयी है, विधि अनुसार वसूल कर ली जाये।

दिनांकः

महानुभाव का हस्ताक्षर
महानुभाव का नाम
दूरभाष/मो0 नं0

नोट— (1) पूर्ण रूप से भरे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2016 है।
(2) संस्कृति विभाग की वेबसाईट www.upculture.up.nic.in से उक्त आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता हैं।

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
नवम् तल, जवाहर भवन,
लखनऊ